निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1407) पटना, वृहस्पतिवार, 21 अगस्त 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2025

सं० 11 / न0वि0 / गठन–04 / 2025–2427 / न०वि०एवंआ०वि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5 एवं 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचार करने के पश्चात, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कॉलम 3 के अन्तर्गत आनेवाले औरंगाबाद जिले के कॉलम 4 में वर्णित चौहद्दी (सीमाओं) के अन्दर नगर पंचायत, मदनपुर क्षेत्र का गठन करते है, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–1476 दिनांक–23.05.2025 द्वारा पूर्व प्रकाशित है तथा उक्त क्षेत्र में उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधान लागू होते हैं :–

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम / थाना नं0	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत का क्षेत्रफल	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
जिला का नाम–औरंगाबाद					
1	नगर पंचायत, मदनपुर	दशवतखाप (784) मदनपुर (785)	उत्तर–घोरहत (786) दक्षिण–उमगा (986) पूरब–खिरियावां (783) पश्चिम–उमगा (986)	5.04 वर्ग कि0मी0	12131

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, मदनपुर कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

14 अगस्त 2025

सं० 11/न0वि0/गठन–05/2025–2427/न०वि०एवंआ०वि० का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 14th August 2025

No. 11/N. Vi./Gathan-05/25/2427/UD&HD—In exercise of the powers conferred by sections 3 (1) (a), 4, 5 and 6 of the Bihar Municipalities Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) (as amended), the Governor of Bihar, after due consideration of the objections received, constitutes Nagar Panchayat, Madanpur area, within the boundaries as mentioned in column 4 of Aurangabad district falling under column 3 for the purposes of the said Act, the draft of which has been previously published by the departmental notification number 1476 dated 23.05.2025 and applies the relevant provisions of the said Act in the said areas:-

Sl. no	ame of Urban Body	Name /thana no. of included Villages	Boundary (with thana no.) of Nagar Panchayat	Area of Nagar Panchayat	Total Population of Nagar Panchayat (as per census year, 2011)
1	2	3	4	5	6
Name of District- Aurangabad					
1	Nagar Panchayat, Madanpur	Dashvatkhap (784) Madanpur (785)	North-Ghorhat(786) South-Umga(986) East- Khiriyawan(783) West- Umga(986)	5.04 Sqare K.M.	12131

This area will be called Nagar Panchayat, Madanpur.

2.This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar,
Abhay Kumar Singh,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1407-571+200-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in